प्रेस नोट
दिनांक 19.08.2025

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा जालसाजी करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 490/2024 धारा 419/420/467/468/471/504/506120बी भादवि से सम्बन्धित 02 नफर वांछित 01. अभियुक्त बालमीक पुत्र रामफेर उम्र करीब 56 वर्ष व 02. निशा देवी पत्नी बालमीक उम्र 52 वर्ष निवासीगण ग्राम कुरहा सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम कुरहा सिंहपुर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी जयकिशन निवासी ग्राम कुरहा थाना तरबगंज जिला गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण बालमीक पुत्र रामफेर व निशा देवी पत्नी बालमीक निवासीगण ग्राम कुरहा सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ने फ्राड करके आराजी गाटा सं0-10/0.040 हे0 का फर्जी बैनामा कराकर वर्तमान खतौनी में प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई के नाम अंकित आराजी गाटा सं0-10/0.040 हे0 का जाली, फर्जी व कूटरचित बैनामा फर्जी तौर पर अपनी भूमि बताकर दिनांक 22.07.2023 को कर दिया तथा वर्तमान में प्राथी को मां बहन की भद्दी-भद्दी देते हुये तथा जान से मार डालने की धमकी देते है। वादी की तहरीर पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 19.08.2025 को थाना तरबगंज द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त बालमीक पुत्र रामफेर व निशा देवी पत्नी बालमीक निवासीगण ग्राम कुरहा सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम कुरहा सिंहपुर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. बालमीक पुत्र रामफेर नि0ग्राम कुरहा सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. निशा देवी पत्नी बालमीक नि0ग्राम कुरहा सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 490/2024 धारा 419/420/467/468/471/504/506/120बी भा०वि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 राहुल प्रताप सिंह मय हमराह
02. कां0 अंकित राय
03. कां0 यशवंत यादव
04. म0 आ0 संगीता देवी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.08.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 363/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त नन्द कुमार उर्फ नन्दलाल पुत्र बच्चा राम नि० ग्राम अन्दूपुर थाना परसपुर जिला गोण्डा को मलाव नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2025 को वादी विनोद पुत्र स्वामी प्रसाद निवासी ग्राम वीरपुर थाना कोतवाली करनैलगंज जिला गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री की शादी ग्राम अन्दूपुर थाना परसपुर जिला गोण्डा निवासी नन्द कुमार पुत्र बच्चा राम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उनकी लड़की को पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, दिनांक 17.08.2025 को मारपीट कर जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में नामजद 05 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 19.08.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त नन्द कुमार उर्फ नन्दलाल पुत्र बच्चा राम नि० ग्राम अन्दूपुर थाना परसपुर जिला गोण्डा को मलाव नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. नन्द कुमार उर्फ नन्दलाल पुत्र बच्चा राम नि० ग्राम अन्दूपुर थाना परसपुर जिला गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-363/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रविप्रकाश यादव मय हमराह
02. कां0 मनीष कुमार
03. कां0 उपेन्द्र रावत।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.08.2025

बाल श्रम, मानव तस्करी एवं बाल विवाह उन्मूलन हेतु जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा चलाया गया सघन चेकिंग व जागरूकता अभियान-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बाल एवं किशोर श्रम मुक्त भारत अभियान, मानव तस्करी, प्रवासी तस्करी, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में जनपद की एएचटीयू टीम द्वारा आज दिनांक 19.08.2025 को थाना नबाबगंज व थाना वजीरगंज संचालित दुकानों, होटलों, प्रतिष्ठानों आदि की सघन चेकिंग की गई। अभियान के दौरान बाल श्रम रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे मे दुकानदारों को अवगत कराया। दौरान अभियान 03 बालकों से 03 सेवा नियोजकों द्वारा बालश्रम कराते पाये गये श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप द्वारा उक्त दोनों सेवा नियोजकों के विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणी काटी गयी। और अन्य नियोजको को हिदायत दी गई की भविष्य में किसी भी प्रकार के बच्चों से बाल श्रम ना कराये यदि बाल श्रम कराते पकड़े जाते हैं तो थाना ए0एच0टी0 प्रभारी के द्वारा विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं व बच्चों को जागरूक किया गया। उन्हें महिला सुरक्षा, अधिकारों एवं सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बरों- महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, महिला सहायता 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, एम्बुलेंस सेवा 108, साइबर हेल्पलाइन 1930 व भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नम्बर 7839856332 आदि नम्बरों की जानकारी दी गयी। ए.एच.टी. प्रभारी द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें एवं यदि कहीं पर किसी दुकान, होटल, ढाबे आदि पर बच्चे कार्य करते हुए पाए जाएं तो तत्काल चाइल्डलाइन 1098 या 112 पर सूचना दें, जिससे समय से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। गोण्डा पुलिस बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों की रक्षा हेतु संकल्पबद्ध है एवं इस प्रकार के जागरूकता अभियान भविष्य में भी निरंतर रूप से जारी रहेंगे।

मीडिया सेल, गोण्डा।